



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072025-264887
CG-DL-E-22072025-264887

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3285]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 22, 2025/आषाढ़ 31, 1947

No. 3285]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 22, 2025/ASHADHA 31, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2025

का.आ. 3358(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाता है) की धारा 20क के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले में प्रस्तावित “उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के विशेष रेल परियोजना जौनपुर—जाफराबाद खण्ड (6.28किमी.) के दोहरीकरण के अन्तर्गत रेलवे फाटक सं०-41सी पर उपरगामी सेतु के निर्माण” हेतु अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने में अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, जौनपुर, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जायेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई ओदश अन्तिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची						
उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर में प्रस्तावित जौनपुर-जाफराबाद दोहरीकरण विशेष रेल परियोजना (6.28 कि० मी०) में लखनऊ-वाराणसी सेक्शन के मध्य एल-जिंग सं० 41 सी पर उपरगामी सेतु के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली अर्जनाधीन भूमि की संरचना सहित या संरचना रहित संक्षिप्त विवरण						
क्रम सं०	जिले का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	सम्पूर्ण / आंशिक	प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	जौनपुर	सदर	(1) नाथूपुर	242	आंशिक	0.0624
				245	आंशिक	0.0060
				246	आंशिक	0.0048
				247	आंशिक	0.0091
				251	आंशिक	0.0254
				253	आंशिक	0.0756
				254	आंशिक	0.0770
				255	आंशिक	0.0100
				333	आंशिक	0.0600
				334	सम्पूर्ण	0.0140
				335	आंशिक	0.0116
				336	आंशिक	0.0020
				337	आंशिक	0.0060
				338	आंशिक	0.0420
				340	आंशिक	0.0005
				1071	आंशिक	0.0418
				1072	आंशिक	0.0028
				1108	आंशिक	0.1145
				1108 / 2099	आंशिक	0.0028
				1112	आंशिक	0.0036
				1113	आंशिक	0.0346
				1114	आंशिक	0.0060
				1115	आंशिक	0.0132
				1116	आंशिक	0.1031
				1121	आंशिक	0.0234
				1122	आंशिक	0.0342
				1126	आंशिक	0.0153
				1127	आंशिक	0.0213
				1129	आंशिक	0.0175
				1132	आंशिक	0.1125
				1156	आंशिक	0.0080
				1157	आंशिक	0.0320
				1160	आंशिक	0.0009
				1162	आंशिक	0.1105
				योग		1.1044
			(2) अहमदपुर	432	आंशिक	0.0176
				योग		0.0176
				कुल योग		1.1220

[फा. सं. 190—W/Land/Jaunpur]

श्याम सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण-II

MINISTRY OF RAILWAYS

[Northern Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2025

S.O. 3358(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the Schedule annexed hereto, is required for construction of proposed **"ROB at L-Xing No.-41C in connection with doubling of Special Railway Project Jaunpur-Zafrabad Section (6.28Km.) of Lucknow Division on Northern Railway"** in **District-Jaunpur** in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Special Land Acquisition officer, Jaunpur, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE						
Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed construction of ROB at L-Xing No.-41C Special Railway Project in doubling of Jaunpur-Zafrabad Section (6.28Km.) between Lucknow-Varanasi section in district Jaunpur in the State of Uttar Pradesh						
Sl No.	Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Plot No.	Affected Plot (Full/Part)	Affected Area (Hectare)
1	2	3	4	5	6	7
1	Jaunpur	Sadar	(1) Nathupur	242	Part	0.0624
				245	Part	0.0060
				246	Part	0.0048
				247	Part	0.0091
				251	Part	0.0254
				253	Part	0.0756
				254	Part	0.0770
				255	Part	0.0100
				333	Part	0.0600
				334	Full	0.0140
				335	Part	0.0116
				336	Part	0.0020
				337	Part	0.0060
				338	Part	0.0420
				340	Part	0.0005
				1071	Part	0.0418
				1072	Part	0.0028
				1108	Part	0.1145
				1108 / 2099	Part	0.0028
				1112	Part	0.0036
				1113	Part	0.0346
				1114	Part	0.0060

				1115	Part	0.0132
				1116	Part	0.1031
				1121	Part	0.0234
				1122	Part	0.0342
				1126	Part	0.0153
				1127	Part	0.0213
				1129	Part	0.0175
				1132	Part	0.1125
				1156	Part	0.0080
				1157	Part	0.0320
				1160	Part	0.0009
				1162	Part	0.1105
				Total		1.1044
			(2) Ahmadpur	432	Part	0.0176
				Total		0.0176
				Grand Total		1.1220

[F. No. 190-W/Land/Jaunpur]

SHYAM SINGH, Chief Administrative Officer/Construction-II